न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/44
दायरा तिथि : 07.01.2025
आदेश तिथि : 28-01-2025
प्रार्थी :–

1. ललित रांगी पुत्र लखमाराम रांगी जरिये वीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीटूशन्स बाली जाति मेघवाल निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज.)
2. कमलादेवी पत्नी मानाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
3. नाथूलाल पुत्र डालूराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
4. पुनाराम पुत्र नेमाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
5. सकुडीबाई पत्नी नेमाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
6. रूकमो पत्नी नवाराम के कामु
   6/1. कपूराराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
   6/2. भूराराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
   6/3. मांगीलाल पुत्र नवाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
7. जीवी पत्नी वीरमा के कामु
   7/1. दौलाराम पुत्र वीरमा जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
   7/2. पकाराम पुत्र वीरमा जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
   7/3. पोमाराम पुत्र वीरमा जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
   7/4. मांगीलाल पुत्र वीरमा जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा
8. विनोद रांगी पुत्र लखाराम रांगी जाति मेघवाल निवासी बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 28-01-2025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पांचलवाडा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.4500 हैक्टर, 366 रकबा 0.4500 हैक्टर, 367 रकबा 0.9300 हैक्टर, 369 रकबा 0.6500 हैक्टर, 370 रकबा 0.6600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पांचलवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 371 रकबा 0.7900 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/189 दिनाक 17.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक मुण्डारा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह कि प्रार्थीगण के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु एक मात्र इकलौता स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध रास्तों के विकल्पों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर एक खसरा नंबर 519/511 में से प्रचलित है आगे अन्य प्रस्तावित खसरों में से नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार 02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/44

अनवान ललित रांगी वगैरा बनाम तहसीलदार बाली

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	519/511	0.21 हैक्टर	बा.दो.	78X7=546 वर्गमीटर	मोहनलाल पुत्र नवाराम जाति मेघवाल सा. बमणिया खातेदार
2	371	0.79 हैक्टर	गै.मु. पत्थर	84X7=588 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	370	0.66 हैक्टर	बा.दो.	110X7=770 वर्गमीटर	जीवी पत्नी विरमा हिस्सा 1/5 व अन्य जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार (संलग्न जमाबंदी अनुसार)
4	369	0.65 हैक्टर	बा.दो.	70X7=490 वर्गमीटर	कपूराराम पुत्र नवाराम हिस्सा 1/4 व अन्य जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार(संलग्न जमाबंदी अनुसार)
5	367	0.93 हैक्टर	बा.दो.	75X7= 525वर्गमीटर	नाथूलाल पुत्र डालूराम हिस्सा 3/5 व अन्य जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार(संलग्न जमाबंदी अनुसार)
6	366	0.45 हैक्टर	बा.दो.	28X7=196 वर्गमीटर	कमलादेवी पत्नी मानाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार(संलग्न जमाबंदी अनुसार)

5. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम पांचलवाडा की डी.एल.सी. दर 1,80,000रू/— रूपये प्रति हैक्टर है।
6. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.4400 हैक्टर में पहुंचने हेतु अंतिम खसरा नंबर 365 में भी रास्ता की मांग की है, परंतु रास्ता में बीच में खसरा नंबर 365 की भूमि नही आती है। खसरा नंबर 366/1 से आगे की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 366 स्थित है।
7. यह है कि प्रभावित खसरा नंबर 370, 369, 367, 366 में से जो रास्ता प्रस्तावित किया जा रहा है, इनके सभी खातेदारों को रास्ता की आवश्यकता है तथा ये सभी खातेदार आवेदक है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि प्रार्थीगण ने अपनी अंतिम खातेदारी भूमि ग्राम पांचलवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.4400 हैक्टर में पहुंचने के लिये अपनी अन्य खातेदारी भूमि ग्राम पांचलवाडा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 366 रकबा 0.4500 हैक्टर, 367 रकबा 0.9300 हैक्टर, 369 रकबा 0.6500 हैक्टर, 370 रकबा 0.6600 हैक्टर से रास्ता देने हेतु सहमति व्यक्त की है तथा इस हेतु प्रकरण में सभी ने प्रार्थीगण के रूप में ही आवेदन किया है। खसरा नंबर 519/511 के खातेदार द्वारा अपना आम मुख्त्यारनामा प्रार्थी ललित रांगी के हक मे देने की प्रति संलग्न है। ग्राम पांचलवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.4400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/189 दिनांक 17.01.2025 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) सशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पांचलवाडा पटवार हल्का गुडालास

उप खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........03

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/44

अनवान ललित सांगी वगैरा बनाम तहसीलदार बाली

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसील बाली के खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.4400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पांचलवाडा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 366 रकबा 0.4500 हैक्टर, 367 रकबा 0.9300 हैक्टर, 369 रकबा 0.6500 हैक्टर, 370 रकबा 0.6600 हैक्टर, 519/511 रकबा 0.2100 हैक्टर एंव राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 371 रकबा 0.7900 हैक्टर में से **546+588+770+490+525+196=3115 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 180000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
519/511	0.21 हैक्टर	78X7=546 वर्गमीटर	18	9828X2= 19656	मोहनलाल पुत्र नवाराम जाति मेघवाल सा. बगणिया खातेदार
371	0.79 हैक्टर	84X7=588 वर्गमीटर	18	10584X2= 21168	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
370	0.66 हैक्टर	110X7=770 वर्गमीटर	18	13860X2= 27720	जीवी पत्नी थिरमा हिस्सा 1/5 व अन्य जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार
369	0.65 हैक्टर	70X7=490 वर्गमीटर	18	8820X2= 17640	कपूराराम पुत्र नवाराम हिस्सा 1/4 व अन्य जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार
367	0.93 हैक्टर	75X7= 525 वर्गमीटर	18	9450X2= 18900	नाथूलाल पुत्र डालूराम हिस्सा 3/5 व अन्य जाति मेगवंशी सा. देह खातेदार
366	0.45 हैक्टर	28X7=196 वर्गमीटर	18	3528X2= 7056	कमलादेवी पत्नी मानाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार
कुल रकबा 3115 वर्गमीटर				कुल राशि 112140/– रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **21168+90972=112140/– (अक्षरे एक लाख बारह हजार एक सौ चालीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि निजी खातेदारों द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. मुण्डारा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप - खण्ड अधिकारी, जिला - पाली (राज.)

(श्री [illegible])
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2025/94-98

दिनांक 28/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 गुण्डारा
3. पटवारी हल्का, गुडालास
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक- ललित सांगी वगैरह को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CS CamScanner

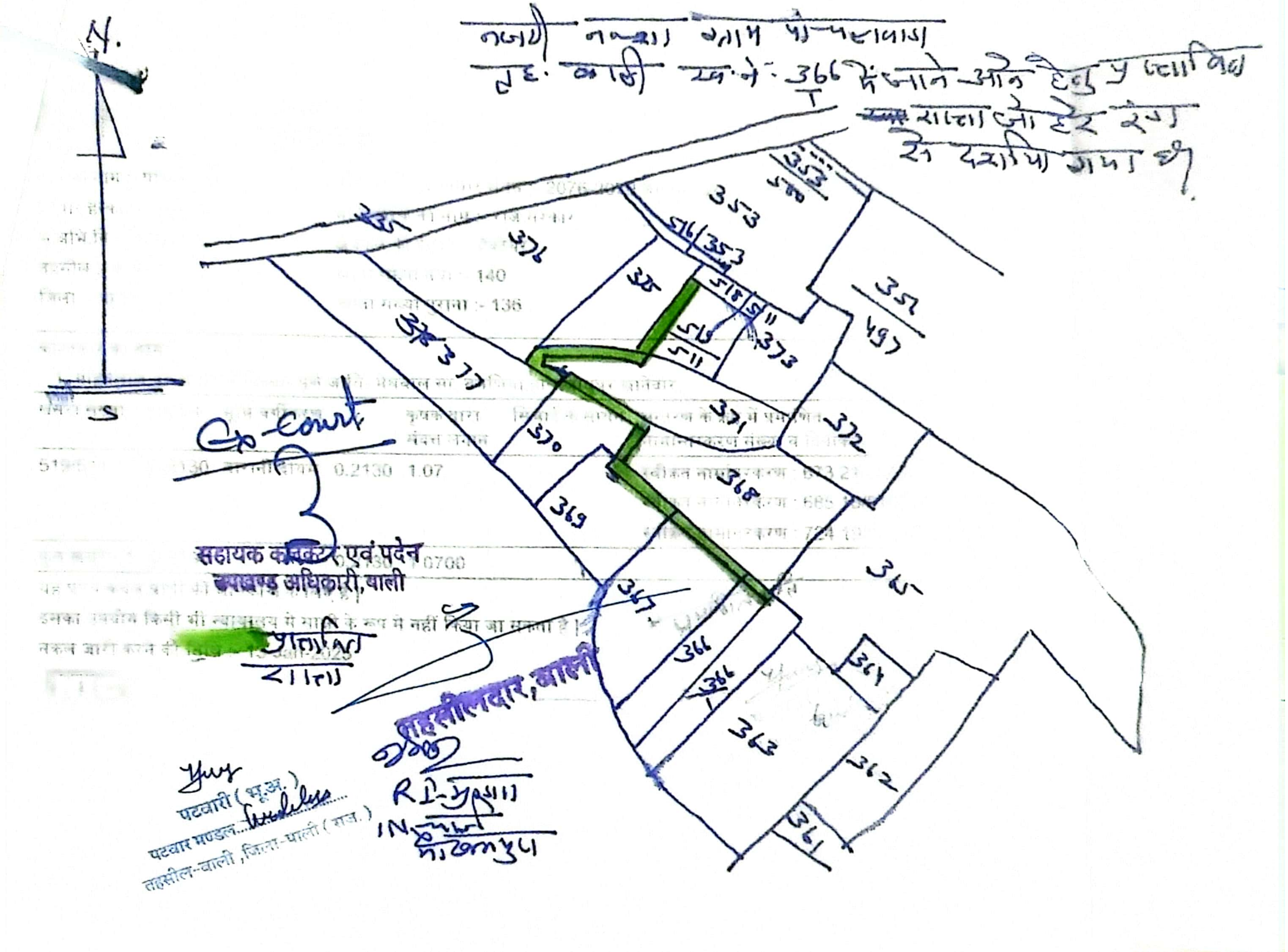

N.
S
376
377
353
355
516/353
518
518
511
373
357
497
371
372
370
369
368
367
365
366
366/1
364
363
362
361
Ex-Court
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
तहसीलदार, बाली
RI
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल
तहसील-बाली, जिला-पाली (राज.)

CamScanner